राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधुपर

क्रमांक RHC/Lib./NL/2017-18/1. दिनांक 17.06.2017.

निविदा सूचना

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर के कार्यालय द्वारा वर्ष **2017-18** हेतु **336** कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा छः मासिक / अर्द्धवार्षिक मुद्रण व सप्लाई करने हेतु दरों के संबंध में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है । जिसकी अनुमानित लागत लगभग **1,25,000/-** रूपये वार्षिक है । निविदा प्रपत्र दिनांक **21.06.2017** से दिनांक **04.07.2017** तक कार्यालय समय में मुख्य रोकड़पाल से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त की जा सक्ती है, मोहरबंद निविदाएँ दिनाँक **05.07.2017** को दोपहर **12.00** बजे तक कार्यालय में जमा कराये जा सकेगी । प्राप्त निविदाऐं दिनाँक **05.07.2017** को दोपहर **2.30** बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी । निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें विभाग की वेबसाइट http://www.hcraj.nic.in पर देखी जा सकती है ।

आज्ञा से

Sd/-

रजिस्टार (परशासन)

निविदा शुल्क रूपये 200/-

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

क्रमांक RHC/Lib./NL/2017-18/1.   दिनांक 17.06.2017.

निविदा परारूप

1.कार्य का नाम : मुद्रण व सप्लाई राजस्थान उच्च न्यायालय कोर्ट न्यूज लेटर ।

2.निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पूर्ण पता मय टेलीफोन एवं मोबाइल नम्बर : ________________

3. किसको सम्बोधित की गई : ________________

4. संदर्भ : RHC/ Lib./Newsletter/2017-18/____ दिनांक _______

5. निविदा शुल्क की राशि ________________ रूपये नकद रसीद / चालान संख्या एवं दिनांक____________________ के द्वारा जमा करा दी गई हैं ।

6. हम____द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना सं. RHC/Lib./Newsletter/2017-18 / _____ दिनांक ____________ में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं ।

निम्नलिखित मदों के प्रदाय के लिये दरें निम्न प्रकार होगी तथा प्रदाय की जानी सामग्री की मात्रा उनके प्रत्येक के सामने अंकित की गई हैं ।

क्र. सं.	*प्रिंटिंग किये जाने वाली वस्तु का विवरण मय विनिर्देशों के*	*दरें*	*मात्रा*	*शुद्ध मुल्य (सभी कर / FOR सहित पुस्तकालय)*
1	2	3	4	
	कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिंटेड लिफाफा की साइज 22 X 28, 23 X 31 सें.मी. क्रमश: होगी और इसके पृष्ट 35 एवं 50 के मध्य होगें जो घट-बढ भी सकते हैं इस कोर्ट न्यूज लेटर के पेपर विभाग द्वारा उपलब्ध / स्वीकृत कराये जाने वाले नमूने के अनुरूप होगें । इस के सभी पृष्ठ 130 जी.एस.एम. / विभाग के निर्देशानुसार G.S.M.के तथा मुख एवं अंतिम पृष्ठ हेतु आर्ट कार्ड प्लास्टिक लेमिनेशन सहित 300 जी.एस.एम. / विभाग के निर्देशानुसार G.S.M.के एवं प्रिन्टेड लिफाफा हेतु आर्ट पेपर 100 जी.एस.एम. मय प्रिंटिंग चार रंगों की होनी चाहिये । कोर्ट न्यूज लेटर हेतु मेन्युस्किष्ट एवं नमूना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा ।			

8.फर्म द्वारा आदेश प्राप्ति की दिनांक से 10 दिवस में प्रिंटेड न्यूज लेटर मय प्रिंटेड लिफाफा की सुपुर्दगी कार्यालय को कर दी जायेगी ।

9.उक्त उद्धत की गई दरें पूरे वितिय वर्ष तक के लिये विधि मान्य है ।

10. बयाना राशि के पेटे डीडी / बैंकर चैक जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया हैं । नकद रसीद संख्या ______________ और दिनांक ________________ संलग्न हैं ।

आयकर / एस. टी. / वैट चूकता प्रमाण पत्र संलग्न हैं ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर

राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर
निविदा की शर्तें

1. राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर कार्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 हेतु 336 कोर्ट न्यूज लेटर छ:मासिक / अर्द्धवार्षिक मुद्रण कर सप्लाई करने हेतु दरों के संबंध में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा की साईज 22 X 28, 23 X 31 सें.मी. क्रमश: होगी और इसके पृष्ठ 35 एवं 50 के मध्य होगें जो घट-बढ भी सकते हैं इस कोर्ट न्यूज लेटर के पेपर विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले नमूने के अनुरूप होगें । इस के सभी पृष्ठ 130 जी.एस. एम. /विभाग के निर्देशानुसार G.S.M के तथा मुख एवं अंतिम पृष्ठ हेतु आर्ट कार्ड प्लास्टिक लेमिनेशन सहित 300 जी.एस. एम. / विभाग के निर्देशानुसार G.S.M. के एवं प्रिन्टेड लिफाफा हेतु आर्ट पेपर 100 जी.एस.एम. मय प्रिंटिंग चार रंगों की होनी चाहिये । कोर्ट न्यूज लेटर हेतु मेन्युस्क्रिप्ट एवं नमूना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा । (अनुमानित लागत लगभग **1,25,000/-** रूपये वार्षिक हैं)
2. निविदा प्रपत्र दिनांक **21.06.2017** से **04.07.2017** तक कार्यालय समय पर रोकड़पाल से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है तथा समस्त भरी हुई मुहरबंद निविदाऐं दिनांक **05.07.2017** को दोपहर **12.00** तक कार्यालय के रोकड़पाल के पास जमा करायी जा सकेगी जो दिनांक **05.07.2016** को दोपहर **02.30** बजे उपस्थित आवेदकों / प्रतिनिधियों के समक्ष इस कार्यालय में खोली जायेंगी । विलम्ब से प्राप्त निविदा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
3. निविदा प्रस्तावकों को मुद्रण व सप्लाई राशि का 2 प्रतिशत कार्यालय में बयाना राशि (अरनेस्ट मनी) के रूप में नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूम में जमा करवाना होगा । डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल ' राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर के नाम से देय होगा । निविदा प्रपत्र के साथ नकद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा तथा लिफाफे के बाएँ कोने में निविदा कर्त्ता का नाम, पूर्ण पता एवं फोन / मोबाईल नम्बर लिखें होने चाहिए ।
4. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करों सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से लिख कर अंकित करनी होगी । निविदा प्रपत्र व संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करने होगें तथा काँट-छाँट होने पद अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक से स्पष्ट रूप से लिखनी होगी । निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाने का खर्चा (हेण्डलिंग चार्जेज) भी सम्मिलित होगा ।
5. मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा का ले-आउट और डिजाइन उच्च एवं अच्छे स्तर का होना चाहिये । मुद्रित किये जाने वाले वाले कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा का ले-आउट और डिजाइन राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पुस्तकालय शाखा से अनुमोदित करवाना होगा ।
6. कोर्ट न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा की साईज , पेपर का प्रकार , कलर फोटोग्राफ में प्रयोग में ली जाने वाली स्याही एवं अन्य आवश्यक जानकारी के पश्चात ही कोर्ट न्यूज लेटर का मुद्रण एवं सप्लाई तदनुरूप होनी चाहिए ।

जारी............पृष्ठ / 2.

7. कार्यालय द्वारा मुद्रित किये जाने वाले कोर्ट न्यूज लेटर की मेन्युस्क्रिप्ट / सोफ्ट कॉपी उपलब्ध करवायी जायेगी जिसकी प्राप्ति के न्यूनतम 7 दिवस के भीतर मुद्रित कोर्ट न्यूज लेटर की नमूना कॉपी कार्यालय में उपलब्ध करवाई जानी आवश्यक होगी जो कार्यालय द्वारा प्रूफ रीडिंग के पश्चात् लौटाने की तारीख से 10 दिवस के भीतर मुद्रित कर कार्यालय में स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवानी होगी ।
8. निविदादाता को चाहिए कि वह कार्यालय के निविदा प्रपत्र में ही अपनी दरें अंकित करें तथा विभाग की निविदा प्रस्ताव को भरते समय वह अपने वेट रजिस्टेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति स्वयं प्रमाणित कर संलग्न करें ।
9. अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा । संतोषप्रद आपूर्ति के पश्चात् ही भुगतान देय होगा । आपूर्ति आदेशानुसार वर्णित समय सीमा में वांछित गुणवताप / निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप एक साथ करनी होगी । आपूर्ति आदेशानुसार नहीं होने पर प्रस्तावकों के खर्चे पर लौटाया जा सकेगा तथा पूर्वोक्त कार्य अन्य प्रकाशक से करवाने पर अंतर की राशि / अधिक व्यय संबंधित प्रस्तावकों से वसूल किया जायेगा ।
10. उक्त कार्य सम्पादन / आपूर्ति में यदि किसी भी प्रकार की हानि होती है तो इसके लिए विभाग किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं करेगा न ही कोई जिम्मेवारी इस कार्यालय की होगी ।
11. सामग्री , आपूर्ति आदेश में वर्णित समयावधि (कार्यालय द्वारा निर्धारित) के भीतर ही करनी होगी । विलम्ब से आपूर्ति पर नियमानुसार शास्ति लगाई जायेगी ।
12. इस निविदा की दरें कार्यादेश की दिनांक से एक साल के लिए मान्य होगी ।
13. न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा की अनुमानित प्रतियों व पृष्ठों की संख्या में कमी या वृद्धि का सम्पूर्ण अधिकार कार्यालय के पास रहेगा ।
14. न्यूज लेटर मय प्रिन्टेड लिफाफा को पूर्ण से तैयार कर राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर की लाईब्रेरी में निर्धारित समय में उसकी सप्लाई करनी होगी ।
15. उक्त निविदा में सफल प्रस्तावक अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा तथा स्वीकृत कार्य को किसी अन्य ऐजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा ।
16. सफल निविदादाता द्वारा कार्य में असफल रहने पर द्वितीय प्रस्तावक अथवा बाजार से मुद्रण कार्य करवाया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत न्यूनतम दर से अधिक व्यय होने पर अन्तर की राशि सफल निविदादाता से वसूल की जायेगी ।
17. उक्त निविदा के क्रम में समस्त , सर्वोच्च एवं अंतिम वैधानिक अधिकार माननीय क्रय समिति / कार्यालय का होगा एवं यह निर्णय सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी रहेगा तथा निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा ।
18. निविदा को स्वीकृत एवं अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरिक्षत रहेगा ।
19. बिना बयाना राशि के निविदा स्वीकार नहीं होगी ।

जारी.............पृष्ठ / 3.

20.सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि का **10%** धरोहर राशि के रूप जमा करवाना होगा । इसमें पूर्व में जमा **2%** बयाना राशि का समायोजन किया जा सकता है । सभी महत्वपूर्ण शर्तें उसके बदले स्वीकार की गई सभी शर्तें तथा फर्म के साथ पत्र व्यवहार अनुबन्ध का भाग होगा ।

21.सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात् अपने खर्च पर कार्यादेश का **0.25%** रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर निर्धारित अनुबंध पत्र भर कर प्रस्तुत करना होगा ।

22.सशर्त निविदा स्वीकार्य नहीं होगी ।

23.इस संबंध में समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर रहेगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर